



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102026-277038
CG-DL-E-10102026-277038

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5321]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2026/आश्विन 16, 1948

No. 5321]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2026/ASVINA 16, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5533(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3534(अ) तारीख 01 जुलाई 2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - 2, खण्ड - 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में तिरुपति जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 716 के 52.730 कि.मी. से. 101.620 कि.मी (कडपा से रेनिगुंटा खंड) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/ चारलेन का बनाना आदि,), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा 3क की उपधारा (3) के अधीन " 07 जुलाई 2026" तारीख को " हंस इंडिया " और " प्रजा शक्ति " दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप आपत्ति प्राप्त नहीं हुए है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अबकेन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 716 के 52.730 कि.मी. से 101.620 कि.मी. तक (कडपा से रेनिगुंटा खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: तिरुपति		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कोदूर					
गांव का नाम: उप्पारपल्ली					
1	2566	सरकारी (ए.डबल्यू.डी.)		0.275196	सरकारी (ए डब्ल्यू डी) 2566
2	2567	सरकारी (ए.डबल्यू.डी)		0.388512	सरकारी (ए डब्ल्यू डी) 2567
3	2570	सरकारी (ए.डबल्यू.डी.)		0.857964	सरकारी (ए डब्ल्यू डी) 2570
4	2574	सरकारी (ए.डबल्यू.डी.)		1.007703	सरकारी (ए डब्ल्यू डी) 2574
5	2578	सरकारी (ए.डबल्यू.डी.)		0.072846	सरकारी (ए डब्ल्यू डी) 2578
6	2579	सरकारी (ए.डबल्यू.डी.)		0.882246	सरकारी (ए डब्ल्यू डी) 2579

7	2583	सरकारी (ए.डब्ल्यू.डी.)		0.744648	सरकारी (ए डब्ल्यू डी) 2583
8	2586	सरकारी (ए.डब्ल्यू.डी.)		0.748695	सरकारी (ए डब्ल्यू डी) 2586
Total				4.97781	

[फा. सं. 2056/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th October, 2026

S.O. 5533(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.3534(E) dated 01st July 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 716 on the stretch of land from Km. 52.730 to Km. 101.620 (Kadapa to Renigunta Section) in the district of Tirupati in the State of Andhra Pradesh.

And whereas the substance of the said notification has been published in “HANS INDIA” and “PRAJA SHAKTP” both dated 07th July 2026; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure falling within the stretch of land from Km. 52.730 to Km. 101.620 (Kadapa - Renigunta Section) of the National Highway No. 716 in the District of Tirupati in the State of Andhra Pradesh.

State: ANDHRA PRADESH			District: Tirupati		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kodur					
Village: Upparapalle					
1	2566	Government (A.W.D.)		0.275196	Govt.(AWD) 2566
2	2567	Government (A.W.D.)		0.388512	Govt (AWD) 2567
3	2570	Government (A.W.D.)		0.857964	Govt (AWD) 2570
4	2574	Government (A.W.D.)		1.007703	Govt (AWD) 2574
5	2578	Government (A.W.D.)		0.072846	Govt (AWD) 2578
6	2579	Government (A.W.D.)		0.882246	Govt (AWD) 2579

7	2583	Government (A.W.D.)		0.744648	Govt (AWD) 2583
8	2586	Government (A.W.D.)		0.748695	Govt (AWD) 2586
Total				4.97781	

[F. No. 2056/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director